

(12) 1

(46)

अचल संपत्ति विवरणका वर्ष-2016

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016-17

- 1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम अशोक शर्मा
- 2. वर्तमान धारित पद सहायक यो. उ. (स.उ.)
- 3. कार्यालय का नाम परिहार सैभाग, उ.प.क.
- 4. वर्तमान वेतन
- 5. भविष्य निधि कमांक
- 6. कर्मचारी संख्या

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	गृह तथा अन्य भवन	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासित, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
		भूमि	वर्तमान मूल्य				
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>अ. 7/12</u> <u>पट्टा, उ.प.क.</u>	<u>भवन</u>	<u>-</u>	<u>50.00 वर्ग मीटर</u>	<u>स्वयं के नाम पर</u>	<u>पट्टा द्वारा</u> <u>जारी 2002</u>	<u>निरंक</u>	

हस्ताक्षर [Signature]  
 नाम अशोक शर्मा  
 पद सहायक यो. उ. (स.उ.)  
परिहार सैभाग, उ.प.क.

- \* जहां लागू न हो कौट दीजिए
- \*\* ऐसे मामलें में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभाव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मंडल, द्वारा ग्राह्य म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अप्रक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।  
 संलग्न :- उपरोक्तानुसार।